समाहरणालय पूर्णियाँ

(जिला पशुपालन कार्यालय)

अल्पकालिन निविदा संख्या–01 / 2017

उत्पादक / भंडारकर्त्ता / उप भंडारकर्त्ता / पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़ सहाय कार्य के लिए भूसा / कुट्टी (पुआल) का दर निर्धारण हेतु शीलबंद निविदा पूर्णियाँ जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2017–18 में आपूर्ति हेतु आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रकाशन के 15 वें दिन शाम 5 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ में निविदा प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के द्वारा निविदा प्राप्ति के अंतिम दिन के अगले दिन 3:00 बजे दिन में खोला जायेगा।

निविदा की शर्त्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो० 5000 / – (पाँच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्णियाँ के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो पूर्णियाँ शाखा में भुगतेय होगा, जमा करना अनिवार्य है।

Annexure ,A,

Sl No	Item	Specification
1	Wheat Straw (Bhusa	Moisture less than 10% Without Fungus
2	Paddy Straw (Kutti)	Moisture less than 10% Without Fungus

ह० 24.5.17

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

निविदा की शर्तें

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा/कुट्टी (पुआल) हेतु निविदा अंकित होगा।
2. तकनिकी निविदा की निम्नलिखित शर्तें होगी :–

   (क) 5000/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि असफल निविदादाता को वापस किया जा सकेगा।

   (ख) उत्पादन, भंडारण, डीलरशिप का प्रमाण –पत्र की छाया प्रति।

   (ग) पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति। (वाणिज्यकर विभाग से)

   (घ) VAT किलीयेरेंस प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

   (ङ) PAN कार्ड की छाया प्रति।

   (च) विगत तीन वर्षों की आयकर रिर्टन की छाया प्रति।

   (छ) काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ–पत्र की मूल प्रति।

   (ज) सामग्री का नमुना 500 gm पारदर्शी पलास्टिक की थैला में सील बंद होना आवश्यक है।

   (झ) सरकारी संस्था में आपूर्ति के संबंध में अनुभव से संबंधित कागजात की छाया प्रति।

   (ञ) वार्षिक टर्न ऑवर (कम से कम दस लाख वार्षिक) की छाया प्रति।

   (ट) सभी शर्तें मान्य होने संबंधी शपथ–पत्र।
3. तकनिकी निविदा निविदादाता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो आपदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय निविदादाता के लिए मान्य होगा।
4. तकनिकी निविदा में सफल निविदादाता का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
5. आपदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
6. वित्तीय निविदा में दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
7. सामग्री की आपूर्ति पूर्णियाँ जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
8. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।

9. सफल निविदादाता को 15 दिनों के अन्दर जिला पशुपालन पदाधिकारी से एकरारनामा कराना होगा, जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा आपदा समिति के निर्णय वर्णित होंगे।

10. सभी अंचलों में निर्दिष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता जिम्मेवार होंगे।

11- भूसा सूखा कवक रहित उच्च गुणवत्ता का होगा और उत्पादन से तीन माह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नमी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। (Annexure ,A,)

12. 30 दिनों के अन्दर आपूर्ति नहीं करने पर कुल मूल्य का 5% दण्ड लगाया जायेगा, जिसका निर्णय आपदा समिति द्वारा लिया जायेगा।

13. किसी भी स्तर पर निविदा रद्द किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।

14. शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमितता, गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जायेगा।

15. कोई भी विवाद होने आपदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।

16. सारी विवाद पूर्णियाँ न्यायालय के दायरे में होगा।

17. भूसा/कुट्टी (पुआल) के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुणवत्ता जाँच कराई जा सकती है।

18. आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन सूचना के आधार पर सामग्री की आपूर्ति ली जायेगी।

24.5.17

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।